



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
 14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
 U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
 14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र संख्या : 1566-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2010

दिनांक : 03 जून, 2010

कार्यालय ज्ञाप

निगम में मृतकाश्रित के रूप में समूह 'घ' में सेवायोजित तथा समूह 'घ' में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे समस्त कार्मिक, जिनकी शैक्षिक अर्हता विज्ञान विषय के साथ हाईस्कूल हो, की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग करने, उनमें कैरियर विकास के प्रति रुझान उन्नत कर उन्हें कैरियर ग्रोथ प्रदान करने तथा परिचालकीय कर्मचारी विनियमावली, 1995 में परिभाषित/उल्लिखित प-1 व प-2 श्रेणी के पदों पर ठहराव की स्थिति को समाप्त करने के दृष्टिगत, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं उसमें सफल प्रशिक्षणार्थियों को टैक्नीशियन ग्रेड-2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नत/नियुक्त करने की कार्ययोजना को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न 140 वीं बैठक में सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ की गयी है :-

- (क) 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त समूह 'घ' के उन कार्मिकों को, जिनकी शैक्षिक अर्हता विज्ञान विषय के साथ हाईस्कूल हो, को उनके स्वयं के आवेदन पर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ अथवा उसके समकक्ष प्रशिक्षण संस्थानों से 6-9 माह के सफल प्रशिक्षण पर प्रशिक्षणोपरान्त सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष निगम में प्रोन्नत कर दिया जाये,
- (ख) आवेदनों की संख्या अधिक होने पर उनका चयन निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने का निगम को अधिकार होगा तथा आवेदनों की संख्या कम होने पर यथा आवश्यक आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी,
- (ग) इस प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को पूरा वेतन सहित शैक्षिक अवकाश प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना पर उनकी निगमीय आवास की सुविधा बहाल रखी जायेगी,
- (घ) उपरोक्त प्रशिक्षण के कार्य का 50 प्रतिशत व्यय भार निगम द्वारा तथा 50 प्रतिशत कार्मिक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, तथा
- (ङ) प्रशिक्षण में असफल होने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी, लेकिन ऐसे कार्मिकों को सामान्य विनियमों के अन्तर्गत ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

2. उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत विनियमावली, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आदि तैयार करके, निदेशक मंडल के विचारार्थ शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

निदेशक मंडल की आज्ञा से




उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

:: 2 ::


सं०: 1566 मा०सं०-03/उनिलि/2010 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

फैक्स



- 1 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ आफीसर।
- 2 निदेशक (वित्त)/(तकनीकी)/(कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 4 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
- 5 मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 6 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 7 कम्पनी सचिव, उ०प्र० रा० वि० उ०नि० लि०, लखनऊ।
- 8 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), मानव संसाधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा /आर०एण्ड०एम०/वाणिज्य/ईंधन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/चिकित्सा/टाण्डा वाईडिंग सेल एवं संसदीय कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 10 उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/अनु सचिव, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/कार्मिक अधिकारी, उ० प्र० रा० वि० उ०नि० लि०, लखनऊ।
- 11 अभिलेख पत्रावली।
- 12 कट फाइल।

भवदीय,

(तिनगा प्रकल्प कटियार)
उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-03)